(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 2/2019

बउनवान

रजिया खान आयु 38 वर्ष पत्नि रईस अहमद जाति मुसलमान निवासी छबडा जिला बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1– जितेन्द्र पुत्र नटवरलाल जाति नामदेव निवासी वार्ड नम्बर 14 दर्जी मोहल्ला मेन चौराहा के पास छबडा गूगोर तहसील छबडा जिला बारॉ

2– राहुल पुत्र नटवरलाल जाति नामदेव निवासी वार्ड नम्बर 14 दर्जी मोहल्ला मेन चौराहा के पास छबडा गूगोर तहसील छबडा जिला बारॉ

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र नजरसानी (रिव्यु) अन्तर्गत धारा 114 सी.पी.सी.

उपस्थिति :– 1. श्री योगेश्वर स्वरूप भटनागर अभिभाषक (प्रार्थी)
2. श्री अरविन्द बघेरवाल अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 16.12.2019

प्रार्थिया द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक प्रार्थना पत्र नजरसानी (रिव्यु) अन्तर्गत धारा 114 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 35/2018 अपील अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट बउनवान रजियाखान बनाम जितेन्द्र मे दिनांक 17.7.2019 को निर्णय पारित किया गया। जिसके विरूद्व उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दिनांक 30.7.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। जिला रिकार्ड रूम से मूल पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थीगण की ओर से श्री अरविन्द बघेरवाल अभिभाषक द्वारा उपस्थिति दी गई। प्रकरण मे मूल पत्रावली प्राप्त होने पर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

प्रार्थिया के अभिभाषक द्वारा रिव्यु प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया गया कि उक्त प्रकरण मे चूंकि कानूनी बिन्दु निहित है, इस निमित्त न्यायिक दृष्टांत निर्णय दिनांक 3.2.2019 बालुराम इत्यादि बनाम रूगाराम इत्यादि आर.एल. डब्ल्यु 2009(1) आर.जे. पेज–213 भी प्रस्तुत किया था कि जिसमे यह प्रतिपादित किया गया है कि The matter is covered u/s. 251 of the Act [illegible] jurisdiction vests in village panchayal साथ ही नोटिफिकेशन दिनांक 25.9[illegible] की [illegible]टो प्रति भी प्रस्तुत की जा रही है। निर्णय की नकल दिनांक 19.7.2019 को प्राप्त हुयी।

उक्त अनदेखी Apparent on the face of record होने से यह प्रार्थना पत्र नजरसानी अन्दर मियाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त न्यायिक दृष्टांत व नोटिफिकेशन की रोशनी मे पुर्नविचार करने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:28:49 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही की गई है। उक्त निर्णय को यथावत रखा जावे।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकगण की प्रार्थना पत्र नजरसानी (रिव्यु) अन्तर्गत धारा 114 सी.पी.सी. पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। इस न्यायालय की मूल पत्रावली संख्या 35/2018 मे पारित निर्णय दिनांक 17.7.2019 का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण मे प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टांत निर्णय दिनांक 3.2.2019 बालुराम इत्यादि बनाम रूगाराम इत्यादि आर.एल. डब्ल्यु 2009(1) आर.जे. पेज–213 जिसमे यह प्रतिपादित किया गया है कि The matter is covered u/s. 251 of the Act and its jurisdiction vests in village panchayal का भी अवलोकन किया गया। उक्त रूलिंग इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे पारित निर्णय मे प्रार्थी के अभिभाषक की बहस मे प्रस्तुत की गई है। जो प्रस्तुत किया जाना पारित निर्णय मे दर्शाया गया है। जो इस प्रकरण पर चस्पा नही होती है। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना हम न्यायोचित नहीं समझतें हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नजरसानी (रिव्यु) अन्तर्गत धारा 114 सी.पी.सी.खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:28:49 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.01.08 15:54:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: